राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7 (38) परि/नियम/मु./2011/ 11090 जयपुर, दिनांक : 08/6/16

**कार्यालय आदेश 26 /2016**

विगत् समय में यह संज्ञान में लाया गया है कि गैर–परिवहन यानों के डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रावधानों में अस्पष्टता होने के फलस्वरूप डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने में अत्यंत समस्याएं आ रही हैं, जिससे न केवल आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ता है अपितु विभागीय छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः गैर–परिवहन यानों के डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने के फलस्वरूप डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन अंतिम पंजीयन अधिकारी के यहां किया जाएगा एवं अंतिम पंजीयन अधिकारी (Last Registering Authority) द्वारा ही डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।
2. "अंतिम पंजीयन अधिकारी" से तात्पर्य उस पंजीयन अधिकारी से होगा जिसके द्वारा वाहन का अंतिम बार हस्तान्तरण, पता परिवर्तन, हाइपोथिकेशन, विलोपन/इंद्राज आदि किया गया हो अर्थात् जिस पंजीयन अधिकारी द्वारा अंतिम बार पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी किया गया होगा, उसे ही अंतिम पंजीयन अधिकारी माना जाएगा।
3. वाहन के अन्य जिला/राज्य में हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र/कर चुकता प्रमाण–पत्र जारी होने पर उस जिले में जहां से अनापत्ति प्रमाण–पत्र कर चुकता प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, भविष्य में कोई व्यवहार (Transaction) नहीं किया जाएगा।
4. संबंधित वाहन का कर/पंजीयन खाता बंद कर दिया जाएगा तथा "वाहन सॉफ्टवेयर" में भी उस संबंधित वाहन को ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि कोई भविष्य में कोई व्यवहार संभव न हो।

उक्त आदेशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांक : प.7 (38) परि/नियम/मु./2011/ 11091-95 जयपुर, दिनांक : 08/6/2016

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....................................................।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)..................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)